



श्रीमती गोदावरी

आवेदिका ।

बनाम

बन्धुधर

अनार ।

R-3211-2A5

निम्नानु विरम आदेश --- ।

आवेदन पत्र बावत विर जाने प्रकरण श्रीमती सुनवाई

स्थान के विन्दु पर । एवं यकन न  
कुन दोर व पेशी न्यायालय को  
कोई शिका है 18/08/15 को जमाने दे

मान्यवर,

निवेदन है कि उक्त निम्नानी हूँ पूर्ण नकशा के आधार पर अनार,

आवेदिका के धूमि का मुआबजा राशि प्राप्त करने के विराम में है, जससे

ग्राह्यता एवं स्थान के विन्दु पर श्रीमती सुनवाई विराम जाना आवश्यक है, जससे

बेला आवेदिका को आर्थिक क्षति न हो सके । एवं पेशी न्यायालय को  
दे शिका विराम दे

अतः निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार विर जाने की कृपा की

जाय ।

आवेदिका -

दिनांक 30-09-2015

श्रीमती गोदावरी

भारत अधिवक्ता :-

वीरेन्द्र कुमार सिंह एस०

रौवात न० १० ।

वीरेन्द्र कुमार सिंह  
रौवात न० १०  
30-9-15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक	निग-3211/दो/2015	जिला रीवा
स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश गोदावरी / च-पुत्रोत्तर	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-12-2015	<p>प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को स्थगन पर सुना गया।</p> <p>आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण में आदेश दिनांक 7.10.15 में निर्देश दिए गये हैं कि संहिता की धारा 52 स्थगन आवेदन पर विचार अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख अवलोकन के पश्चात किया जावेगा। अभी प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ है। आवेदक अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख अवलोकन के पश्चात किया जावेगा। प्रकरण पूर्ववत् आगामी कार्यवाही हेतु नियत किया जाता है।</p> <p>पेशी दिनांक- 13/3/16</p> <p>14-3/16</p> <p>आवेदक श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह को स्थगन पर सुना गया।</p> <p>पेशी 5-5-16</p> <p>5/5/16</p> <p>आवेदक अधिवक्ता श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित। प्रकरण में उनके समक्ष आवेदन पर विचार अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख अवलोकन के पश्चात किया जावेगा। प्रकरण पूर्ववत् आगामी कार्यवाही हेतु नियत किया जाता है।</p>	<p>N.F. 13-3-16</p> <p>N.F. 5-5-16</p>

M

सदस्य